राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	321/2024 घनश्याम बनाम रामभजन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली अधिवक्ता अपीलार्थी को उपस्थित होकर लिखित/मौखिक बहस हेतु दिनांक 05/02/2026 को पेश हो।	
05/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 11/02/2026 को पेश हो।	
11/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप मं तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/04/2024 पारित करते हुये तहसीलदार कोटखावदा को विवादित आराजीयात के खाता संख्या 134 के खसरा नम्बर 25, 26, 27, 28/1258 कुल किता 4 कुल रकबा 2.41 वाके ग्राम डोवलाकलां तहसील कोटखावदा पर तहसीलदार कोटखावदा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर वादी के डाक खर्चे पर प्रतिवादीगणों को लिखित सूचना देते हुये विवादित आराजीयात का मौका निरीक्षण कर एवं विभाजन प्रस्ताव मुताबिक नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अनुसार तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब वाद व् जवाब ऊल जवाब तथा बहस के दौरान उठाये गये तर्को का परिक्षण/विवेचन किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में पक्षकारान द्वारा उद्धरित तथ्यों का परिक्षण/विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व् डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/04/2024	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	घनश्याम बनाम रामभजन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत वाद व जवाब वाद एवं जवाब ऊल जवाब तथा बहस के दौरान उद्धरित तथ्यों का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुनः पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है। पत्रावल फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	